वेबसाईट : www.abvp.org

पंजिकृत क्रमांक : S-385/1949-50

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय– 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.

दूरभाष :(022) 24306321 / 24378866 फैक्स :24313938 ई–मेल : abvpkendra@gmail.com

दिनांक : 29 अप्रैल 2020

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

यूजीसी द्वारा परीक्षा आयोजित कराने संबंधी दिशा-निर्देश स्वागत योग्य : अभाविप

शैक्षणिक संस्थान परीक्षा आयोजित कराने के संदर्भ में छात्रों के हितों के अनुकूल निर्णय लें

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों की परीक्षा आयोजित करने के संदर्भ में दिए गए दिशा निर्देशों के संबंध में सभी शैक्षणिक संस्थानों से यह आग्रह करती है, कि किसी भी गतिविधि पर निर्णय करने से पूर्व ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में इंटरनेट की कमजोर कनेक्टिविटी तथा पाठ्य सामग्री के अभाव संबंधी छात्रों के चिंताओं को जरूर संज्ञान में लें।

ज्ञातव्य हो कि अभाविप ने छात्रों से संबंधित विषयों के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ज्ञापन सौंपते हुए ऑनलाइन परीक्षा को अनिवार्य न करने, शोध प्रबन्ध को जमा करने की समय सीमा को छः माह के लिए बढ़ाने आदि मांगें की थी। इन मांगों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में छात्रों के अनुकूल प्रतिक्रिया दी है, यह एक स्वागत योग्य कदम है।

यूजीसी द्वारा शोध छात्रों के लिए शोध प्रबंध जमा करने की समय सीमा को छः माह अतिरिक्त बढ़ाने का निर्णय छात्रों को राहत देने वाला है, साथ ही COVID 19 के कारण तालाबन्दी को देखते हुए परीक्षा के सम्बंध में विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देना भी छात्रों एवं विश्वविद्यालयों के हित में है।

अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि, "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महत्वपूर्ण ढंग से शैक्षिक जगत की समस्याओं को जिस प्रकार से रेखांकित किया है, वह प्रशंसनीय है। विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों को अब यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, कि उनका प्रैक्टिकल, वायवा, आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा तथा सेमेस्टर परीक्षा आयोजित कराने का रवैया छात्रों के हितों के अनुकूल हो।"

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री नीरज चौधरकर द्वारा जारी की गई है।)